दिनांक......7-6-18......

7.6.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट टीकनवाड़ में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम टीकनवाड़ की सरहद में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 888 में से रास्ता चाहा है। उक्त कलेमशुदा रास्ते बाबत कैम्प के दौरान तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट प्राप्त की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 7.6.18 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 106 मीटर होती है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 884 की सीमा से सटकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 887 लगती है। ख.नं. 887 से रास्ते की लम्बाई 88 मीटर ही होती है धारा 251(क) के प्रावधान अनुसार सबसे निकटतम दूरी का रास्ता दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 884 में जाने आने हेतु अप्रार्थीगण के भूमि ख.नं. 887 की पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे रास्ता दिया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है

आदेश

प्रार्थना पत्र 251(क) रा.का.अ. आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 884 ग्राम टीकनवाड़ में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 887 की पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे 88 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है। उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण ख.नं. 887 के खातेदारों को भूमि देवेंगे। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। रास्ते को तत्काल चालू करवावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी